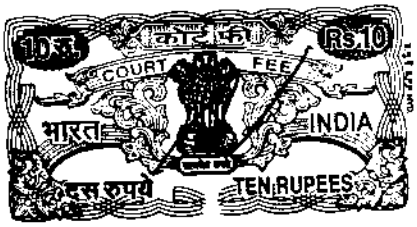

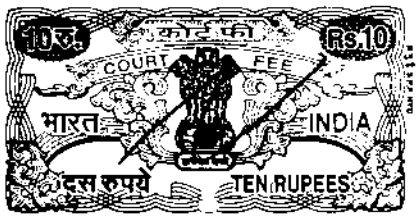

रा. रा. श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

R. 3397- PBR/12

मेसर्स सचिन लीजिंग एण्ड डेवलपर्स प्रा.लि.
पता – 2, फेयरडील मोटर्स बिल्डिंग,
ए.बी.रोड, इन्दौर तर्फे डायरेक्टर
श्री सचिन पिता श्री रमेश शर्मा – प्रार्थी

विरूद्ध

1– श्रीमती कमलाबाई पति स्व. नाथूलालजी
आयु – वयस्क, व्यवसाय – गृहकार्य
निवासी – 147–बी, राधानगर, इन्दौर

2– श्री अशोक पिता स्व. नाथूलालजी
आयु – वयस्क, व्यवसाय – नौकरी
निवासी – 147–बी, राधानगर, इन्दौर

3– श्री महेश पिता स्व. नाथूलालजी
आयु – वयस्क, व्यवसाय – नौकरी
निवासी – 147–बी, राधानगर, इन्दौर – प्रतिप्राथीगण

श्री विनीत जोशी अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 25-9-12 को इन्दौर कैम्प पर प्रस्तुत।
25-9-12
29-9-12

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

विद्वान अधीनस्थ भू–अधीक्षक महोदय, भू–अभिलेख इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक सीमांकन/भूअ/2012/1196 में पारित आदेश दिनांक 27.04.2012 से व्याथित होकर प्रार्थी अपनी निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत करता है :–

सचिन लीगिंग / कमलवाई

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 3397–पीबीआर/12 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यदाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–5–2014	उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा दिनांक 29–4–2014 को प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह निगरानी अधीक्षक भू–अभिलेख, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–4–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । दिनांक 27–4–2012 को प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख द्वारा सीमाकंन दल का गठन किया गया है । आवेदक की ओर से जिस दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है , वह सीमाकंन प्रतिवेदन है, जो कि उचित कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है । उक्त प्रतिवेदन में कोई दिनांक अंकित नहीं है, परन्तु उसके अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त प्रतिवेदन दिनांक 22–6–2012 को सीमाकंन दल द्वारा किये गये सीमाकंन से संबंधित है । स्पष्टतः यह निगरानी जिस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है उसकी सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है और जिस दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है वह सीमाकंन प्रतिवेदन होकर आदेश नहीं है । अतः यह निगरानी विधि के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किये जाने से एवं प्रीम्योच्योर होने निरस्त किये जाने योग्य है । क्योंकि प्रभारी अधिकारी द्वारा सीमाकंन	

सचिन लौजिंग / कमलाबाई

R. 3397-PBR/12 इंदौर

प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और उनके द्वारा इस न्यायालय में उठाये गये आधारों को प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है ।

2 उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष